



मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी,
भोपाल – 462016

फोन: 0755-2463585, 2430154, फैक्स:- 0755-2981055
ई मेल:- secretary@mperc.nic.in वैबसाईट:- www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (एल. एण्ड आर)/2023/2067

भोपाल, दिनांक 11/09/2023

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 50, धारा 55, धारा 56, तथा धारा 181(2)(भ) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के खण्ड 11.19 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम 2016 के विनियम 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एल.टी. उपभोक्ताओं की स्मार्ट प्री-प्रेड बिलिंग), 2023 के लिए अभ्यास दिशा-निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त अभ्यास दिशा-निर्देश का प्रारूप आयोग की वेबसाईट www.mperc.in पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त अभ्यास दिशा-निर्देश के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को दिनांक **03.10.2023** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियां/टीप ई-मेल secretary@mperc.nic.in पर या फैक्स क्रं. 0755-2981055 पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित अभ्यास दिशा-निर्देश के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **03.10.2023** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रु. 15/- (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/- (रु. 15/- प्रति सेट + रु. 35/- डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **10.10.2023** को प्रातः **11.00** बजे वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गार्ड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव